



2026:AHC-LKO:6803-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

रिट - सी संख्या - 752 सन 2026

अब्दुल खलील एवं 5 अन्य

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव शहरी विकास विभाग,
लखनऊ एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता :	गौतम मिश्रा, माधवेन्द्र नाथ मिश्रा
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता :	मुख्य स्थायी अधिवक्ता, शैलेंद्र सिंह चौहान

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी

1. श्री शैलेंद्र सिंह चौहान, विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 और 3 की ओर से अपना वकालतनामा दाखिल किया है, जिसे अभिलेख में ले लिया गया है।
2. नगर निगम के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि नगर निगम द्वारा याचिकाकर्ताओं को बेदखल करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। हालांकि, स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण एवं स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन) अधिनियम, 2014 के तहत प्रमाण पत्र जारी करने के दावे के संबंध में, मामले पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।
3. श्री एस.एस. चौहान द्वारा दिए गए बयान के मद्देनजर, याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

जनवरी 30, 2026

प्रवीण

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन रॉय]

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।